

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

कदमा अचकरठाकाल विपक्षी मेरुलाल  
212/2502 पत्रावली संख्या 156/15 सन् \_\_\_\_\_

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>02/11/24 पत्रावली तैयार की गई। 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021' आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारानु को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-<u>खेमपुर</u> दिनांक <u>02/11/24</u> को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली</p>	
<p>07/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना दिनांक <u>25/01/22</u> को</p>	
<p>95/1/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना दिनांक <u>19/4/22</u> को पेश हो।</p>	
<p>19/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना दिनांक <u>2/8/22</u> को पेश हो।</p>	
<p>2/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना दिनांक <u>13/9/22</u> को पेश हो।</p>	



13/10/22

बकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. / पूर्व कार्यालय नुमा / संलग्न  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः अंतिम  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/10/22  
को पेश हो।

SDO मावली

17/11/22

बकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. / पूर्व कार्यालय नुमा  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः अंतिम  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 29/11/22  
को पेश हो।

SDO मावली

29/11/22

बकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. / पूर्व कार्यालय नुमा  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः अंतिम  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 30/01/23  
को पेश हो।

SDO मावली

30/01/23

बकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. / पूर्व कार्यालय नुमा  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः अंतिम  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 28/03/23  
को पेश हो।

SDO मावली

30/07/24

पत्रावली प्रकरण से, 104/15 प्र.पत्र के साथ संलग्न होने से पेश हुई। प्र.पत्र 104/15 आज दिनांक को अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी अनुपस्थित रहने पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रकरण भी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैंसल शुमार होकर प्र.से. 104/15 के साथ संलग्न रहे।

विधि सुनाया गया।



सहायक कमिश्नर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली